संख्या -41/सीपी 382/84-2-2013-रिट 1/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मुख्य स्थायी अधिवक्ता,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 07 अक्टूबर, 2013

विषय सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या 35191/2013 नोटिस संख्या-30896/ 2013 स्वतंत्र कुमार रावत तथा अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य (जनपद बांदा) में शासन की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-4298/बी, दिनांक 15-07-2013 की संलग्न छायाप्रति का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छः सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र योजित करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्याय अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-यू0ओ0 654/सात-न्याय-अनुभाग-6-07-रिट 1/2007, दिनांक 13.02.2007 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रश्नगत रिट याचिका में राज्य सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने एवं प्रभावी पैरवी आदि हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, बांदा को एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी, बांदा को शासन स्तर से अनुमोदित प्रस्तरवार आख्या एवं अभिलेखों सहित आपसे व्यक्तिगत सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। कृपया प्रतिशपथ पत्र तैयार करवाकर मा0 न्यायालय में योजित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

....2....

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या-41/सीपी 382(1)/84-2-2013 रिट 1/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि - जिला पूर्ति अधिकारी, बांदा को रिट याचिका, अनुमोदित पैरावाइज नरेटिव एवं सिविल मिस0 रिट पिटीशन संख्या-64824/2012 विकास कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य (जनपद अमरोहा) में जिला पूर्ति अधिकारी, अमरोहा द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद बांदा से सम्बन्धित प्रश्नगत रिट याचिका में कृपया मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से व्यक्तिगत सम्पर्क कर समयान्तर्गत प्रतिशपथपत्र तैयार/योजित कराकर योजित प्रतिशपथ पत्र की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in